<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर</u>

(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 02/2020 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)

GCMS NO : 2020/00003

<u>अनवान</u>

1. कल्पना मिनरल्स एण्ड केमिकल, भागीदारी फर्म जरिये भागीदार श्री श्याम सिरोया पिता अम्बालाल सिरोया एवं श्री रोहित पिता श्री श्याम सिरोया, निवासी–'आंगन' 7–न्यू फतहपुरा, जिला उदयपुर (राज.)

– प्रार्थी

<u>बनाम</u>

1. सपली पिता वना उर्फ वनाराम बलाई (मेघवाल), निवासी– सांचली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती सोहनी बाई पत्नी वना उर्फ वनाराम बलाई (मेघवाल), निवासी– सांचली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
3. श्री हीरा पिता सेरा बलाई (मेघवाल), निवासी– सांचली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
4. श्री खेमराज पिता स्व. सोवन बलाई (मेघवाल), निवासी–सेमड़, तहसील–गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
5. श्री पुष्कर पिता स्व. सोवन बलाई (मेघवाल), निवासी–सेमड़, तहसील–गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
6. श्री चन्दु पिता स्व. सोवन बलाई (मेघवाल), निवासी–सेमड़, तहसील–गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
7. श्री परथा पिता सेरा बलाई (मेघवाल), निवासी–सांचली, तहसील–गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2, 3, 4, 7
3. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

<u>प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970</u>
<u>बावत आवंटन निरस्त कराये जाने</u>

<u>निर्णय</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.04.01 11:10:31 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 23-03-2021

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम सांचली,

तहसील गोगुंदा, जिला उदयपुर मे आराजी संख्या 712 रकबा 0.3750 हेक्टेयर, आराजी संख्या 1118 रकबा 0.1550 हेक्टेयर, आराजी संख्या 1120 रकबा 0.1400 हेक्टेयर, आराजी संख्या 1121 रकबा 0.1800 हेक्टेयर, आराजी संख्या 1122 रकबा 0.2000 हेक्टेयर, आराजी संख्या 1123 रकबा 0.1350, आराजी संख्या 1124 रकबा 0.1100 हेक्टेयर, कुल किता 7 कुल रकबा 1.2950 हेक्टेयर भूमि स्थित है, जिसकी किस्म मगरी होकर इस भूमि के खसरा संख्या 712 एवं आसपास की भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होकर इस पर काफी वर्षो से खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर द्वारा जारी खनन पट्टा जिसके एमएल नंबर 37/2003 खनन केल्साइट बाबत खनन कार्य विभाग द्वारा जारी संविदा के तहत किया जा रहा है एवं उक्त भूमि का डेडरेन्ट के रूप मे खान एवं भू विज्ञान विभाग को निर्धारित राशि प्रतिवर्ष प्रार्थी द्वारा जमा कराई जा रही है। विपक्षी संख्या 1 व 2 के स्वर्गीय पिता श्री वना उर्फ वनाराम, विपक्षी संख्या 3, विपक्षी संख्या 4, 5, 6 के स्वर्गीय पिता श्री सोवन एवं विपक्षी संख्या 7 द्वारा उक्त भूमि के गैर खातेदारी हक से आंवटन हेतु 04.06.1999 को आवेदन किया गया था। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा बिना मौका जांच उक्त भूमि का आवंटन कर दिया गया, जबकि उक्त भूमि कृषि योग्य भूमि नही है। उक्त भूमि पर प्रार्थी द्वारा माइनिंग का कार्य किया जा रहा है। कथित भूमि पर तहसीलदार गोगुंदा द्वारा दिनांक 13.08.2009 को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार नियम विरूद्ध प्रदान कर दिये गये है, जबकि गिरदावरी संवत 2070–73 मे आवंटीगण द्वारा कोई काश्त नही की गई है। आवंटन उपरान्त आवंटीगण को कब्जा सुपुर्द नही किया गया है। आवंटी भूमिहीन काश्तकार नही है, न ही आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना की गई है। कथित आवंटन मिसरिप्रजेन्टेशन से होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटीगण के पक्ष मे किये गये कथित आवंटन को निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। प्रकरण मे विपक्षी संख्या 1, 2, 3, 4 एवं 7 की ओर से श्री संजय बोहरा एवं विपक्षी संख्या 8 की ओर से श्री कल्पित जैन राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई। विपक्षी संख्या 1, 2, 3, 4 एवं 7 के अधिवक्ता ने प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत किया कि कथित भूमि का आवंटन वना, हीरा, सोवन, परथा पिता सेरा मेघवाल के नाम किया गया है, जिसे लगभग 21 वर्ष का समय हो चुका है। आवंटी भूमि के संबध मे विपक्षीगण के पिता को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है एवं कथित भूमि के विपक्षी संख्या 1 से 7 खातेदार काश्तकार होकर मालिक काबिज है। सन् 1970 मे किस्म मगरी के आवंटन पर कोई रोक नही थी। वर्णित आराजीयात के किसी भाग पर प्रार्थी का कभी कब्जा नही रहा है एवं खातेदारी भूमि पर आवंटन करने का किसी भी विभाग को अधिकार नही है। कथित भूमि का आवंटन वर्ष 1999 मे हुआ है। कथित आवंटन पूर्णतया नियमानुसार किया गया है एवं आवंटन उपरान्त विधिवत कब्जा सुपुर्द किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे मनगढ़न्त तथ्य अंकित किये है एवं आवंटन शर्तो का पालना करने के फलस्वरूप ही खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। यदि किसी विभाग द्वारा 1999 के बाद कोई आवंटन किया गया है तो वह प्रारंभतः ही शून्य है। आवंटीगण भूमिहीन काश्तकार होने से ही कथित भूमि का आवंटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.04.01 11:10:31 IST
Reason: SelfAttested

किया गया है। आवंटन मे कोई मिसरिप्रजेन्टेशन नही हुआ है। उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 1 से 7 खातेदार काश्तकार है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात 14(4) की कार्यवाही मेन्टेनेबल नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। शेष रेस्पोडेन्ट की ओर से जवाब अप्राप्त रहने से जवाब बंद किया गया। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा से आवंटन से संबधित मूल पत्रावली संख्या 582/1999 तलब की जाकर प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को प्रार्थी अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 1, 2, 3, 4 एवं 7 के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। बहस प्रारम्भ करते हुये प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मौके पर प्रार्थी का पुराना कब्जा होना, वक्त आवंटन आवंटीगण का भूमिहीन न होना, आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की अवहेलना होना, आवंटन मे मिसरिप्रजेन्टेशन होना, कथित भूमि की माइनिंग लीज संख्या 37/2003 प्रार्थी के पास उपलब्ध होना, नियम विरूद्ध खातेदारी अधिकार दिया जाना, आवंटित भूमि की किस्म मगरी होना आदि आधारो पर कथित आवंटन को निरस्त करने की मांग की। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन मे माइनिंग लीज संविदा 04.11.2004, माइनिंग एरिया का नक्शा, माइनिंग एरिया का सीमांकन प्रतिवेदन, मौका पर्चा एवं जमाबन्दी की छायाप्रति प्रस्तुत की।

बहस मे भाग लेते हुये विपक्षी संख्या 1, 2, 3, 4 एवं 7 के अधिवक्ता ने प्रार्थी द्वारा मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना, विपक्षीगण का गरीब खातेदार एवं भूमिहीन होना, आवंटन पूर्णतया विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये होना, आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण होना, खातेदारी अधिकार प्राप्त होना, माइनिंग लीज 2003 मे पश्चातवर्ती होना, आवंटन वर्ष 1999 मे होना, आराजी संख्या 1118 मे कुआं खुदा होना, आवंटन मे कोई मिसरिप्रजेन्टेशन न होना अवगत कराया एवं कथित आवंटन को यथावत रखे जाने हेतु अनुरोध किया। विपक्षी संख्या 1, 2, 3, 4 एवं 7 के अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि माइनिंग से संबधित कोई दस्तावेज प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त 14(4) की कार्यवाही नही चल सकती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावें। विपक्षी संख्या 1, 2, 3, 4 एवं 7 के अधिवक्ता ने अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

- आर.आर.टी. 2018 (1) पृष्ठ 299
- आर.आर.डी. 1994 पृष्ठ 381
- आर.बी.जे. 2019 पृष्ठ 77
- आर.आर.टी. 2011 (1) पृष्ठ 383 (एच.सी.)
- आर.बी.जे. 2014 पृष्ठ 685
- आर.आर.टी. 2006–2007 एस.यू.पी.पी. 382
- आर.आर.टी. 2011(1) पृष्ठ 270
- आर.आर.टी 2010(1) पृष्ठ 157

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.04.01 11:10:31 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, जवाब, उपखण्ड़ अधिकारी से प्राप्त आवंटन पत्रावली, न्यायिक दृष्टांत आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। प्रकरण राजस्व ग्राम सांचली, तहसील गोगुंदा, जिला उदयपुर मे आराजी संख्या 712 रकबा 0.3750 हेक्टेयर, आराजी संख्या 1118 रकबा 0.1550 हेक्टेयर, आराजी संख्या 1120 रकबा 0.1400 हेक्टेयर, आराजी संख्या 1121 रकबा 0.1800 हेक्टेयर, आराजी संख्या 1122 रकबा 0.2000 हेक्टेयर, आराजी संख्या 1123 रकबा 0.1350, आराजी संख्या 1124 रकबा 0.1100 हेक्टेयर, कुल किता 7 कुल रकबा 1.2950 हेक्टेयर भूमि के आवंटन से संबंधित हैं। उपखण्ड़ अधिकारी गिर्वा से प्राप्त मूल आवंटन पत्रावली संख्या 582/1999 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजस्व ग्राम सांचली, तहसील गोगुंदा, जिला उदयपुर मे आराजी संख्या 712 रकबा 0.3750 हेक्टेयर, आराजी संख्या 1118 रकबा 0.1550 हेक्टेयर, आराजी संख्या 1120 रकबा 0.1400 हेक्टेयर, आराजी संख्या 1121 रकबा 0.1800 हेक्टेयर, आराजी संख्या 1122 रकबा 0.2000 हेक्टेयर, आराजी संख्या 1123 रकबा 0.1350, आराजी संख्या 1124 रकबा 0.1100 हेक्टेयर, कुल किता 7 कुल रकबा 1.2950 हेक्टेयर भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट उपरान्त उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 व 2 के स्वर्गीय पिता श्री वना उर्फ वनाराम, विपक्षी संख्या 3, विपक्षी संख्या 4, 5, 6 के स्वर्गीय पिता श्री सोवन एवं विपक्षी संख्या 7 को किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर प्रधान, सरपंच, तहसीलदार के हस्ताक्षर मौजुद हो अध्यक्ष के रूप मे उपखण्ड़ अधिकारी के हस्ताक्षर भी मौजुद हैं। प्रार्थी द्वारा विवादित आराजीयात पर उनका पुराना कब्जा होना तथा खान एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा माइनिंग लीज संख्या 37/2003 जारी किया जाना अवगत कराया है। मामले मे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी अथवा उनके अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रकरण मे प्रस्तुत नही किया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उनका कब्जा विवादित आराजीयात पर आवंटन से पूर्व रहा हो। यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का विपक्षीगण/उनके पूर्वाधिकारी के पक्ष मे किये गये आवंटन से पूर्व का कब्जा होता, तो उन पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थी के पास उपलब्ध होती, जो प्रार्थी का पूर्ववर्ती कब्जा साबित करती। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता आवंटन से पूर्व के कब्जे के संबंध में धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। मामले मे आवंटन मे कोई त्रुटि प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित न होना एवं आवंटन पूर्णतया नियमानुसार होना पाया जाता है। प्रार्थी द्वारा माइनिंग लीज संख्या 37/2003 अवश्य ही जारी होने का उल्लेख किया है किन्तु विपक्षीगण/उनके पूर्वाधिकारी के पक्ष मे किया गया आवंटन वर्ष 1999 का हैं। खनिज विभाग के नियमों के अनुसार भी खातेदार की भूमि पर खनन खातेदार की सहमति से ही संभव हैं। बाद की खनन लीज के आधार पर पूर्व का आवंटन निरस्त किया जाना उचित नहीं हैं। इस न्यायालय को आवंटन मे हुए मिसरिप्रजेन्टेशन को [illegible] एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों के परिपेक्ष्य मे प्रकरण मे कोई मिसरिप्रजेन्टेशन प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित नहीं होता हैं तथा आवंटन मे मिसरिप्रजेन्टशन न पाया जाने से आवंटन को वर्तमान स्तर पर निरस्त करना

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.04.01 11:10:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायोचित नही है। विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं 7 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण मे चस्पा होते हैं।

अतः प्रार्थी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं राजस्व ग्राम सांचली, तहसील गोगुंदा, जिला उदयपुर मे आराजी संख्या 712 रकबा 0.3750 हेक्टेयर, आराजी संख्या 1118 रकबा 0.1550 हेक्टेयर, आराजी संख्या 1120 रकबा 0.1400 हेक्टेयर, आराजी संख्या 1121 रकबा 0.1800 हेक्टेयर, आराजी संख्या 1122 रकबा 0.2000 हेक्टेयर, आराजी संख्या 1123 रकबा 0.1350, आराजी संख्या 1124 रकबा 0.1100 हेक्टेयर, कुल किता 7 कुल रकबा 1.2950 हेक्टेयर भूमि पर उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा मिसल संख्या 582/1999 से किये गये कथित आवंटन को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.04.01 11:10:31 IST
Reason: SelfAttested